संचिका सं0–Bs^3–10284/85 पत्रांक–189 दिनांक–7-2-18

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना

निबंधत संस्था में लाये गये संशोधन को

अभिलिखित करने का प्रमाण–पत्र

''**गणेशदत्त परिषद बिहार**'' में किये गये संशोधन. के संबंध में।

(संस्था का अद्यतन नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा दाखिल निम्नलिखित आलेख्य संस्था निबंधन अधिनियम, 21, 1860 के उपबंध के अनुसार अभिलिखित किया जाता है।

संस्था के नाम परिवर्त्तन की सूचना–(पूर्व नाम '' **गणेशदत्त परिषद बिहार** '' (निबंधन संख्या, 468/1985–86) परिवर्त्तन नाम– **''XXX''**/ पता परिवर्त्तन की सूचना (पूर्व पता– डी0 भी0 सी0 रोड,यारपुर, पटना–800001 /परिवर्त्तित पता–**''मकान सं0–81 रोड़ न0–13,श्री कृष्ण नगर, पटना–800001")** /संशोधित स्मृति पत्र (नया कार्यालय पता एवं नई कार्यकारिणी, नए उद्देश्य के साथ)/ सशोधित नियमावली /आम सभा के दिनांक–13.01.2017 एवं दिनांक–19.02.2017 के प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि।

1.2.18

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री मिथलेश प्रसाद सिन्हा (महासचिव),
'' **गणेशदत्त परिषद,बिहार** ''
मकान सं0–81 रोड नं0–13 श्री कृष्ण नगर,
पटना–800001(बिहार)
को उनके आवेदन/पत्रांक–शून्य दिनांक–27.12.2017 के प्रसंग में अग्रसारित।

कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

1.2.18

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

महासचिव
गणेशदत्त परिषद, बिहार

गणेशदत्त परिषद्, बिहार

की

संशोधित स्मृति–पत्र

1. नाम :– इस संस्था का नाम गणेशदत्त,परिषद् बिहार रहेगा ।

2. कार्यालय :– इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पटना में मकान संख्या–81,रोड नं0–13,श्रीकृष्णा नगर, पटना–800001 में रहेगा। इसमें परिवर्तन होने पर निबंधन महानिरीक्षक के 30 दिनों के अन्दर सूचित किया जायेगा। सदस्यों को भी इसकी जानकारी दे दी जायेगी ।

3. उद्देश्य :–

(1) सर गणेशदत्त सिंह के आदशों और उनकी कल्पनाओं को मूर्तरूप देने के लिए शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना।

(2) उनके विचारों को आम लोगों तक समाचार–पत्रों एवं अन्य माध्यमों से पहुँचाना।

(3) भू–खण्ड प्राप्त कर पटना तथा अन्य स्थानों में उनका स्मारक बनाना।

(4) जन–साधारण में स्पर्धा जागृत करने के लिए विचार–गोष्ठी, खेल–कूद, वाद–विवाद एवं अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(5) महिलाओं तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समुचित व्यवस्था करना।

(6) मेधावी एवं निर्धन छात्र–छात्राओं तथा शोधार्थियों की आर्थिक सहायता करना तथा छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

(7) वयस्क–शिक्षा कार्यक्रम चलाना।

(8) स्त्रियों के स्वयं नियोजन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(9) बाल–विवाह के विरूद्ध एवं परिवार–नियोजन में जन–जागरूक पैदा करना।

(10) प्रदूषण की रोक–थाम करना ।

(11) आपातकाल में साहायतार्थ–कार्य करना।

(12) सर गणेशदत्त सिंह की जयन्ती का आयोजन करना ।

मिलान किया सही पाया

महासचिव

3. (क) उपरोक्त बातों के रखते हुए समिति के उद्देश्यों के सही ढंग से क्रियान्वयन हेतु परिषद् को किसी भी सम्पत्ति को प्राप्त करने, धारित करने और कब्जा करने के साथ–साथ प्राप्त सम्पत्ति पर निर्माण करने, उसका संरक्षण करने तथा प्रबंधन करने का अधिकार होगा । परिषद् को यह भी अधिकार होगा कि सदस्यों के सहयोग से अचल सम्पत्ति क्रय करेगी तथा सर गणेश दत्त सिंह के विचारों को प्रचारित करने तथा परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु अचल सम्पत्तियों का हस्तानान्तरण, सहयोगी सदस्यों के निवास हेतु, वगैर नफा–नुकसान के आधार पर, कर सकेगी । सदस्यों को परिषद् से प्राप्त भूमि पर 3 वर्षों के भीतर निर्माण कार्य करना होगा । अन्यथा हस्तानान्तरित सम्पत्ति परिषद् में निहीत हो जायेगी।

परन्तु परिषद्, सदस्यों के निर्माण हेतु अवधि का विस्तार हेतु दिये गये आवेदन पर विचार कर निर्णय ले सकेगी।

4. **संचालन नीति :–**

(क) परिषद् किसी भी राजनीतिक दल और धर्म से सम्बंध नहीं रखेगी ।

(ख) यह लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है । उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए यह दान, अनुदान, सरकारी सहायता, ऋण आदि लेगी।

महासचिव
गणेशदत्त परिषद्, बिहार

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पेशा पद एवं स्वहस्ताक्षरित फोटो नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया

है ।

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
1	2	3	4	5	
1	श्री राम नरेश शर्मा पिता–स्व0 देव नन्दन सिंह	नौर्थ गॉधी मैदान द्वारा–डा0 जयाश्री मिश्रा मगध महिला कॉलेज कैम्पस,पटना–800001	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	रामाश्रय प्रसाद सिंह पिता–स्व0 रामस्वरूप सिंह	पारिजात,शिवपुरी, पटना–23	समाज सेवा	उपाध्यक्ष	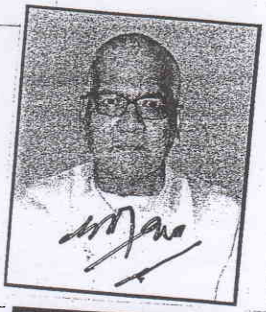
3	अरूण कुमार पिता–स्व0 गोविन्द सिंह	पूर्वी महेश नगर, पटना–24	समाज सेवा	उपाध्यक्ष	
4	मिथिलेश प्रसाद सिन्हा पिता–स्व0 त्रीवेणी प्रसाद सिंह	81,रोड नं0–13, नियर इनकम टैक्स गोलम्बर एस0के0नगर,पटना–1	समाज सेवा	महासचिव	
5	दिनबंधु प्रसाद सिंह पिता–श्री राजनन्दन प्र0 सिंह	स्वधा ग्लोरी अपार्टमेंट, रूपसपुर,पटना ।	समाज सेवा	सहायक सचिव	

196 194

	2	3	4	5	6
6	तनिक प्रसाद सिंह पिता--स्व0 बच्चू नाराण सिंह	ग्राम+पो0--धवेधा, जिला--नवादा ।	समाज सेवा	सहायक सचिव	
7	मुकुल सिंह पिता--श्री उमेश शर्मा	गेट नं0--28,गोपाल निवास, राजापुर,पटना--1	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	
8	राज किशोर नारायण शर्मा । पिता--श्री रामभजन शर्मा	अर्पणा बैंक कॉलोनी, राम जयपाल पथ, न्यू बेली रोड साउथ,पटना	समाज सेवा	सदस्य	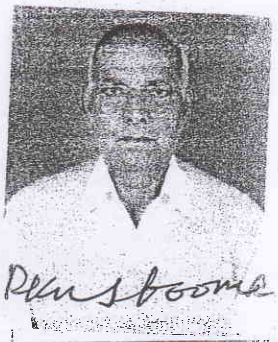
9	अभिजीत कुमार पिता--श्री राजदेव शर्मा	ग्राम--हरपुरा,पो0--मोहम्मदपुर जिला--पटना ।	समाज सेवा	सदस्य	
10	श्री मदन कुमार पिता--श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मकान नं0--ए/23, डा0 वी0 भट्टाचार्या रोड, पश्चिमी पटेल नगर, पटना--23	समाज सेवा	सदस्य	

महासचिव
जगेशदत्त परिषद, बिहार

1	2	3	4	5	6
11	रामसुन्दर प्रसाद सिंह पिता–स्व0 रामकृष्ण प्रसाद सिंह ।	प्रसाद अपार्टमेंट, संजय गांधी नगर, हनुमाननगर,पटना–20	समाज सेवा	सदस्य	
12	ए0के0शाही पिता–स्व0 देवेन्द्र प्रसाद सिंह शाही ।	रोड नं0–6 सी,राजेन्द्र नगर, पटना–16	समाज सेवा	सदस्य	
13	श्रीमती मधु कुमारी पति–श्री सुधा रंजन	ग्राम+पो0–शालीमपुर, जिला–पटना ।	समाज सेवा	सदस्य	
14	श्री संजय कुमार पिता–स्व0 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	ग्राम+पो0–सारे जिला–पटना ।	समाज सेवा	सदस्य	
15	श्री भगीरथ पासवान पिता–स्व0 महेश्वर पासवान	ग्राम+पो0–पिथौरी जिला–नवादा ।	समाज सेवा	सदस्य	

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित स्मृति पत्र की सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष   कोषाध्यक्ष   महासचिव

गणेशदत्त परिषद्, बिहार

की

संशोधित नियमावली

1. परिभाषा

क– संस्था से अभिप्राय है, गणेशदत्त परिषद्, बिहार

ख– समितिं से अभिप्राय है कार्यकारिणी समिति

ग– पदाधिकारी से अभिप्राय है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारी सचिव, सहायक सचिव एवं कोषाध्यक्ष

घ– वर्ष से अभिप्राय है वित्तीय वर्ष (1ली अप्रैल से 31 मार्च तक)

ड.– ऐक्ट से अभिप्राय है सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860

च– स्मारक से अभिप्रेत है वैसी चल–अचल सम्पत्ति जिसका अर्जन, परिषद् के द्वारा सरकार या अपने सदस्यों के सहयोग से, नियमावली के नियम 14 के अधीन प्राप्त आय से अथवा अन्य संस्था या व्यक्ति से प्राप्त सहायता से परिषद् के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु किया गया हो तथा जिसका स्वरूप कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

2. सदस्यता

प्रत्येक व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करते हैं। वे संस्था के सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी ।

सदस्यता का वर्गीकरण

क– सम्मानित सदस्य से ऐसे व्यक्तियों को विभूषित किया जायेगा जो समिति की दृष्टि में महान् समाजसेवी, देशभक्त, विद्वान, कलाविद् एवं परिषद् के महान हितचिन्तक होंगे ।

ख– संरक्षक सदस्य : ऐसे लोगो को संरक्षक बनने के लिए आग्रह किया जायेगा जो समिति के सदस्यों की दृष्टि में परिषद् को अपने ज्ञान या अनुभव से संरक्षण तथा मार्गदर्शन करने में समर्थ होंगे ।

ग– आजीवन सदस्य : रू0 500/– या उससे अधिक राशि का दान करने वाले आजीवन सदस्य होंगे ।

3. सदस्यता की समाप्ति

क– स्वयं त्याग पत्र देने पर

ख– पागल या मृत्यु होने पर

ग– सदस्यता शुल्क नहीं देने पर

महासचिव
गणेशदत्त परिषद्, बिहार

(193 ~~191~~)

घ– समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर

ड.– न्यायालय द्वारा दंडित होने पर

च– बिना कारण बताये, समिति के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

4. **संस्था की शाखाएँ तथा सम्बद्ध शाखाएँ**

क– संस्था आवश्यकतानुसार अपनी शाखाएं स्थापित करेगा जिसका प्रबंधन शाखा की स्थानीय समिति द्वारा किया जायेगा। शाखा की नियमावली के आधार पर संस्था की नियमावली भी होगी।

ख– संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखने वाली अन्य सामाजिक संस्थाएँ भी संस्था से सम्बद्धता प्राप्त कर सकते हैं । संस्था की समिति उनके आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श कर निर्धारित शुल्क जमा करा कर सम्बद्धता प्रदान करेगी।

5. **कार्यकारिणी समिति का गठन**

क– कार्यकारिणी समिति 15 सदस्य की होगी।

ख– समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष आम सभा द्वारा किया जायेगा । निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।

ग– समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

घ– समिति का कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को समिति मनोनित कर सकती है, किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत् चुनाव करा लेना होगा ।

6. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य**

क– संस्था के चल एवं अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होंगे ।

ख– संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत् करना और प्रस्ताव पारित करना।

ग– उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधनिक कार्य करना

घ– उप–शाखा का निर्माण करना

7. **अन्य समिति**

कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त अन्य जो समतियाँ होगी, उनके नाम और कार्य निम्नलिखित होंगे ।

1. संगठन समिति : कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होंगे । इस समिति के मुख्य कार्य होंगे संस्था के संगठन को सुदृढ़ करना और कार्यक्रम प्रस्तुत करना। प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा उपस्थापित किया जायेगा और पारित होने के बाद समिति द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

महासचिव ... बिहार

192 / 90

2. प्रचार समिति : संस्था के महासचिव इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष के अतिरिक्त चार सदस्य होंगे जो इस समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । इसके मुख्य कार्य होंगे संस्था के क्रियाकलाप से लोगों को अवगत कराना, सदस्यता की संख्या बढ़ाना और जन–जागरण पैदा करना । उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति कार्यकारिणी समिति को अपना प्रस्ताव देगी । कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित होने पर समिति इसे कार्यान्वित करेगी ।

3. ललित कला–समिति : कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होंगे । अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे । इसके सदस्य ललित कला में रूचि रखनेवाले व्यक्ति होंगे । समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यकारिणी समिति से पारित होने पर कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार कार्यान्वित किया जायेगा ।

4. प्रकाशन–समिति : कार्यकारिणी समिति इस समिति के लिए एक अध्यक्ष और अन्य चार सदस्यों को मनोनीत करेगी । ऐसे व्यक्ति भी मनोनीत किये जा सकते हैं, जो पहले से संस्था के सदस्य नहीं हों।

8. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य

अध्यक्ष –

क– संस्था की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना

ख– आवश्यकता पड़ने पर निर्णय हेतु मत द्वारा किसी विषय में निर्णय देना।

ग– कार्यवाही में अपना हस्ताक्षर करना

उपाध्यक्ष –

क– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों का सम्पादन करना

ख– अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना

महासचिव –

क– बैठक का आयोजन करना

ख– बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना

ग– प्रत्येक पंजी एंव कागजात को सुरक्षित रखना

घ– संस्था की ओर से पत्राचार करना

ड.– संस्था के आय–व्यय का अंकेक्षण कराना

च– अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना ।

महासचिव
गणेशदत्त परिषद, बिहार

(19) 184

सहायक सचिव –

महासचिव की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों का सम्पादन करना।

कार्यकारी सचिव

इनके जिम्मे संस्था के उद्देश्य को प्रचारित एवं नये सदस्य को एकत्रित करना ।

कोषाध्यक्ष –

क– संस्था के आय–व्यय का लेखा रखना तथा महासचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना।

ख– सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना।

ग– महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निकासी करना।

आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य

क– समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना

ख– संस्था के आय–व्यय पर विचार कर स्वीकृति देना

ग– अंकेक्षक की नियुक्ति करना

घ– अध्यक्ष की राय से अन्य निर्णय पर विचार करना।

10. **बैठक**

क– कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह में होगी ।

ख– आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी।

ग– अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

11. **प्रार्थित बैठक**

दो तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर, आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर महासचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । अगर महासचिव उक्त अवधि के अंदर बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय को निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरांत बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

12. **बैठक की सूचना**

क– कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी।

ख– आम बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व दी जायेगी।

ग– अत्यावश्यक बैठक की सूचना अड़तालीस घंटे पूर्व दी जायेगी।

महासचिव
...परिषद, बिहार

190 / 88

13. **कोरम**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी । पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

14. **आय का श्रोत**

क– आजीवन सदस्य शुल्क

ख– सरकारी अनुदान

ग– विशेष चन्दा एवं शुल्क

15. **निधि का अंकेक्षण**

संस्था की आय–व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से अंकेक्षित कराया जायेगा।

निबंधन महानिरीक्षक जब चाहे अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेंट से करवा सकते है,जिसका शुल्क संस्था को वहन करना होगा ।

16. **पंजी का निरीक्षण**

संस्था की सभी पंजियॉ निर्धारित कार्यालय में रहेगी, जहॉ कोई भी सदस्य, महासचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

17. **नियमावली में संशोधन**

नियमावली में कोई भी संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जा सकता है ।

18. **विघटन**

क– संस्था का विघटन अगर करना पड़े तो आम सभा के 3/5 सदस्यों के द्वारा पारित प्रस्ताव करने पर किया जायेगा।

ख– विघटन के पश्चात् ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगा वह किसी सदस्यों या गैर सदस्यों में नहीं बॉटी जायेगी, बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था को दान–स्वरूप दे दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष — कोषाध्यक्ष — महासचिव

महासचिव

संस्था का नाम: 'गणेशदत्त परिषद बिहार"

नि० सं: 468/85-86

संशोधित स्मृति पत्र, संशोधित नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव दिनांक 13-01-2017 एवं दिनांक 19-02-2017 के प्रस्ताव की अभिलेखित अभिप्रमाणित प्रति

1.2.18

बा० नि० म०

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR 13765 तिथि 12.10.2017 100 V 008038

सिद्धनाथ गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता समाहरणालय, पटना
6/90

महासचिव
गणेशदत्त परिषद, बिहार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

V 008039

सिद्धनाथ गुप्ता
मुद्रांक विक्रेता, समाहरणालय, पटना
ला०नं०-56/90

महासचिव
गणेशदत्त परिषद, बिहार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR V 008040

13767 12.10.2017 100

तिथि

पता

सिद्धनाथ गुप्ता

स्टाम्प विक्रेता समाहरणालय, पटना

56/90

महासचिव
गणेशदत्त परिषद, बिहार